न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 111/2004

1. जुहारीलाल पुत्र केसरा जाति मीणा निवासी कुश्या तहसील मांगरोल
2. रामकरण पुत्र केसरीलाल जाति मीणा निवासी कुश्या तहसील मांगरोल
3. बादाम बाई
4. बद्री बाई
5. द्वारका बाई

(3 से 5) पुत्रिया केसरी लाल जाति मीणा निवासी कुश्या तह0 मांगरोल जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रामप्रताप पुत्र रामगोपाल
2. रामकुवांर पुत्र गोरधन
3. सीता बाई पुत्र गोरधन

(1 से 3) जातियान मीणा निवासीगण कुश्या तह0 मांगरोल जिला बारां

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं

धारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री भंवर सिंह गौड

वकील प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 : श्री विरेन्द्र सिंह

दायरा दिनांक: 06.02.2004

निर्णय दिनांक : 17.01.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की आराजी खसरा नं0 35 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 44 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 100 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं0 129 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 177 रकबा 5 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम कुश्या तहसील मांगरोल में स्थित थी। सेटलमेंट के पश्चात इस आराजी के नये खसरा नं0 33 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 51 रकबा 1.63 है0, खसरा नं0 52 रकबा 1.16 है0, खसरा नं0 164 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 145 रकबा 0.10 है0 आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 5.23 है0 कायम किये गये। उक्त वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से में शामलाती रूप से दर्ज है उक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहीत है, वादीगण व प्रतिवादीगण के

[illegible] के समय से ही उक्त आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो गया था। बंटवारे के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी में में वादीगण का हिस्सा 1/3 वादीगण के खाते पृथक से दर्ज कराने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होनें पर दिनांक 06.02.2004 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल द्वारा दिनांक 24.02.2006 को निर्णय सुनाया गया जिसके अनुसार ग्राम कुश्या की आराजी खसरा नं0 33 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 51 रकबा 1.63 है0, खसरा नं0 52 रकबा 1.16 है0, खसरा नं0 164 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 145 रकबा 0.10 है0 आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 5.23 है0 में वादीगण का 1/3 हिस्सा पृथक से दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं तदनुसार प्राथमिक डिकी तहसीलदार मांगरोल को बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु जारी की गयी। प्राथममि डिकी की पालना में तहसीलदार मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2016/602 दिनांक 15.03.2016 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तहसीलदार मांगरोल ने उक्त पत्र से प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में अंकन किया कि ग्राम कुश्या में राजस्व रेकार्ड के अनुसार चन्द्र प्रकाश पुत्र रामकरण हिस्सा 1/6 जुहारीलाल पुत्र केसरा हिस्सा 1/6 रामकुंवार पुत्र गोरधन हिस्सा 1/6 गणेशराम पुत्र गोरधन हिस्सा 1/12 कुंजबिहारी पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/12 नटी बाई पत्नि मुकुट बिहारी हिस्सा 1/12 रामप्रताप पुत्र गोपाल हिस्सा 1/4 कोम मीणा सा0 देह के नाम ग्राम कुश्या की आराजी खसरा नं0 33 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 51 रकबा 1.63 है0, खसरा नं0 52 रकबा 1.16 है0, खसरा नं0 164 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 145 रकबा 0.10 है0 आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 5.23 है0 खाता दर्ज है। वादी कम 2 रामकरण का स्वर्गवास होने से मृतक के वारिसान के नाम खाते में दर्ज है। बंटवारा स्कीम निम्न प्रकार है।

नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
जुहारीलाल पुत्र केसरा हि0 1/5 धर्मराज, चन्द्रप्रकाश पुत्र रामकरण हि0 1/5 बादाम बाई बद्रीबाई, द्वारका बाई पुत्रिया केसरा हि0 3/5 जाति मीणा सा0 देह रहन सीबाआई शाखा सीसवाली हि0 धर्मराज व चन्द्रप्रकाश का	51	1.63 है0	नहरी प्रथम	52.4
	52 दक्षिणी	0.07 है0	नहरी प्रथम	2.24
	164 दक्षिणी	0.01 है0	नहरी द्वितीय	0.24
	195 पश्चिमी	0.03 है0	नहरी द्वितीय	0.72
	किता 4	रकबा 1.74 है0		55.36

शेष आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रहेगी।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा. प्रस्ताव अनुसार ग्राम कुश्या की आराजी खसरा नं0 33 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 50 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 51 रकबा 1.63 है0, खसरा नं0 52 रकबा 1.16 है0, खसरा नं0 154 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 145 रकबा 0.10 है0 आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 5.23 है0 को वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते पृथक–पृथक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।